न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 20/2021(GCMS : 2021/36)

बंधन बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती गृह फाईनेंस लिमिटेड), क्षेत्रीय कार्यालय "गृह" नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ता के पास, एजिसब्रिज, अहमदाबाद व स्थानीय शाखा कार्यालय 44 एच ब्लॉक, टंडन लेबोरेटरी के पास, श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश** निवासी अहाता नं. 285, गांव रतेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री अशोक कुमार** निवासी अहाता नं. 285, गांव रतेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.03.2021 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण अशोक कुमार एवं राज कुमारी को ऋण सुविधा के रूप में 10.50/– लाख रूपये (अखरे रूपये दस लाख पचास हजार मात्र) का ऋण दिनांक 16.10.2017 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अशोक कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी आवासीय सम्पत्ति आहता नं. 285, पट्टा नं, 38 (क्षेत्रफल 2491 वर्गफीट), गांव रतेवाला तहसीद पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने **अप्रार्थीगण अशोक कुमार एवं राजकुमार को 10.50/– लाख रूपये** (अखरे रूपये दस लाख पचास हजार मात्र) का ऋण स्वीकृति दिनांक 16.10.2017 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अशोक कुमार ने अपनी आवासीय सम्पत्ति आहता नं. 285, पट्टा नं. 38 (क्षेत्रफल 2491 वर्गफीट), गांव रतेवाला तहसीद पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansar Deep Ralh
Date: 2023.08.22 16:52:56 IST
Reason: Self Attested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रार्थी बैंक/कम्पनी के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 29.02.2020 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 20.08.2020** को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.08.2020 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं **है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी अशोक कुमार की **आवासीय सम्पत्ति आहता नं. 285, पट्टा नं, 38 (क्षेत्रफल 2491 वर्गफीट), गांव रतेवाला तहसीद पदमपुर जिला श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 20.08.2020 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 20.08.2020 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस [illegible] **को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.08.2020 को भिजवाये** गये हैं, जिसकी रसीद पत्रावली **में उपलब्ध है तथा** धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण की बिना तामील हुए, **प्रार्थी बैंक को वापिस प्राप्त**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

हो गये । जिस पर प्रार्थी बैंक ने दिनांक 14.09.2020 को अप्रार्थीगण की सम्पत्ति पर धारा 13(2) के नोटिस को चस्पा कर, दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रैस एवं सीमा संदेश में दिनांक 19.09.2020 को प्रकाशित करवाये है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है, इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक/कम्पनी की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी अशोक कुमार के द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बन्धन बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **अशोक कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई आवासीय सम्पत्ति आहता नं. 285, पट्टा नं, 38 (क्षेत्रफल 2491 वर्गफीट), गांव रतेवाला तहसीद पदमपुर जिला श्रीगंगानगर,, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक/कम्पनी व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.08.23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर